File No.71-2099/426/2021- -2

51/2021/ I-66143/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2021

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त एवं गम्भीर मरीजों की चिकित्सा हेतु 04 कैजुएल्टी मेडिकल आफिसर के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4925/Estb.(Gen)/RMLIMS/2021, दिनांक 25 जनवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त एवं गम्भीर मरीजों की चिकित्सा हेतु 04 कैजुएल्टी मेडिकल आफिसर के पदों को निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन सृजन किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	**पद नाम**	**पदों की संख्या**	**वेतनमान 7वें (वेतन मैट्रिक्स में)**	**शैक्षणिक अर्हता**
1.	कैजुएल्टी मेडिकल आफिसर	04	लेवल-10 (56100-177500)	एम0बी0बी0एस0
	कुल योग-	04		

3- उक्त सृजित पदों के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित पद मानकों तथा कार्यात्मक/ वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है ।

4- संस्थान द्वारा पदनाम/ वेतनमान के सम्बन्ध में एम0सी0आई0/ एन0एम0सी0 के मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- इन पदों पर भर्ती/ नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था/ नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रिशक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा- 0325- डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-102 /दस-2021, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त् तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी /वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
9. वित्त ई-3/ नियोजन अनुभाग-4/वित्त (वे0आ0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in